संख्याः 494 /XIII-1/2015–5(17)2010टीसी

422

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 25 जुलाई, 2015

विषयः–कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढीकरण योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 कृ0नि0/367/लेखा–बजट/कृ0नि0भ0/2015–16 दिनांक 18 अप्रैल, 2015 एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 एवं सं0–645/XXVII(1)/2015 दिनांक 04 जून, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढीकरण की योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्रथम किश्त के रूप में **रू0 90.75 लाख (रूपये नब्बे लाख पिछहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि लाख में)

मानक मद	2015–16 के आय–व्ययक में बजट प्रावधान	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित राशि
09–विद्युत देय	5.00	1.25
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00	2.50
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300.00	75.00
17–किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	40.00	10.00
29–अनुरक्षण	8.00	2.00
योग–	**363.00**	**90.75**

2– स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 01 अप्रैल, 2015 एवं 04 जून, 2015 में निहित प्राविधानों, वित्तीय नियम संग्रहों, बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज नियमावली/प्रोक्योरमेन्ट रुल्स, 2008 तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अर्न्तगत सुनिश्चित किया जायेगा।

3– आय–व्ययक में प्राविधानित बजट के सापेक्ष अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अबचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4 में उल्लिखित निर्देशों का पालन करते हुए मितव्ययता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

4– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपभोग होने एवं ईस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के उपरांत ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

5– बजट मैनुवल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाऊचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा 20 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08(पुराना बी0एम0–13) पर संकलित व्यय विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रमशः.....2

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–17 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–800–अन्य योजनायें–04–कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण–00–की उपरोक्त सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के शा0सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट अलोटमेन्ट आई0डी0–S1507170184 दिनांक 23 जुलाई, 2015 तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 में प्रदत्त निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्याः 494/XIII-1/2015–5(17)2010टीसी तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त नियन्त्रक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. अपर कृषि निदेशक, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी।
9. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि विभाग उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह पंवार)
अनु सचिव